फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम लक्ष्मणगढ

शशी देवी बनाम अजय कुमार वगै0

प्रा0 पत्र 212 आर0टी0एक्ट0 (स्थगन प्रा0 मत्र)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
16.12.2020	आज यह प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट0 वकील सायल/प्रार्थी द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर मूल वाद के साथ पेश किया, कार्यालय रिपोर्ट ली गई। सायल/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं का शपथ पत्र एवं जमाबंदी सम्वत 2072–2075 की फोटो प्रति व अन्य दस्तावेजात की फोटो प्रति पेश कर गैर सायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया। हमने वकील सायल/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के साथ पेश दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी/सायला के पक्ष में होना प्रतीत होता है । अतः गैरसायलान/अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.02.2021 तक पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी ख0 न0 हाल 1698/150 वाके ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर को रहन बय व किसी भी प्रकार से मुन्तकिल न करें तथा अबट आराजी में किसी प्रकार का निर्माण कार्य न करें तथा सायला के हिस्से मुताबिक शामलात काश्त करने में किसी प्रकार की बाधा कारित न करें । सायला को जबरन बेदखल न करे । मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। यदि उक्त आदेश की पालना नें कोई ऐतराज हो तो नियत दिनांक 25.02.2021 को उपस्थित न्यायालय होकर जाहिर करे की क्यो ना उक्त आदेश ताफैसला दावा संपूष्ट कर दिया जावे। आदेश जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब कर दिनांक 25.02.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, अलवर	

25/2/21 आज यह पत्रावली पेश हुई। आज बार एसोसियेशन ने कार्य स्थगित कर रखा है P. O. साहब भ्रमण पर हैं। पत्रावली दिनांक 22/5/21 को पेश हो।

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी मुकाम गोविन्दगढ़

शशी देवी बनाम अजय कुमार

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहमकार जो जारी हुआ
18/8/22	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थीया व प्रार्थीया उपस्थित नहीं। वकील अप्रार्थी सं. 6 उप0 P.O. लि0 कानून कवायत में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 25/8/22 को पेश हो।	
25/8/22	प्रार्थीया के वकील उपस्थित। अप्रार्थी सं. 6 के वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते शेष की तलबी दिनांक 15.9.22 को पेश हो PF पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	
15/9/22	वकील प्रार्थीया व प्रार्थीया उपस्थित नहीं। वकील अप्रार्थी सं. 6 उप0 कई बार आवाज लगवाने के बावजूद प्रार्थीया की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। दावा भी अदम पैरवी अदम हाजरी के खारिज हो गया है। प्रा0 पत्र को चलाने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रा0 पत्र 212 RTA खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड से शामिल हो सुनाया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	

Scanned with CamScanner